न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सुमन देवी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र टीआई संख्या/2020/41,

संलग्न टीआई संख्याः– 2020/104

सूरजकरण पुत्र मोहरी लाल जाति जाट निवासी बडी का खेडा, पटवार हल्का दहमीकलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. अजीत सिंह पुत्र मोहरी लाल
2. गोपाललाल पुत्र हरलाल
3. बाबूलाल पुत्र हरलाल
4. मदन लाल पुत्र हरलाल
5. रामेश्वरलाल पुत्र हरलाल
6. सुवा पुत्र मोहरीलाल
   समस्त जाति जाट निवासी बडी का खेडा, पटवार हल्का दहमीकलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. राहुल पुत्र गिर्राज सोनी जाति सुनार निवासी बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. रवि पुत्र गिर्राज सोनी जाति सुनार निवासी बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. संतोष पत्नी गिर्राज सोनी जाति सुनार निवासी बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. विनिता पुत्री गिर्राज सोनी जाति सुनार निवासी बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
13. निकिता पुत्री गिर्राज सोनी जाति सुनार निवासी बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् सपठित आदेश 39 नियम 1 [illegible] जाब्ता दीवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांकः 06.12.2022**

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र टीआई इस आशय के साथ पेश किया गया कि :–

राजस्व ग्राम बडी का खेडा, पटवार हल्का दहमीकलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या नया 233 व पुराना 222 में स्थित खसरा नंबर 295 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 296 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 297 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 307 रकबा 0.070 है0, खसरा नंबर 313 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 317 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 319 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 320 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 327/818 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 329 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 330 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 331 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 331/822 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 332 रकबा 0.57 है0, खसरा नंबर 338 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 339 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 349 रकबा 1.28 है0, कुल किता 17 कुल रकबा 4.65 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/4 तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/16 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/16 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 4 का 1/16 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/16 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने अपने हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे है। एतदपश्चात "वादअधीन कृषि भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा है। वाद अधीन भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरन्तर काबिज चलें आ रहें है। चूंकि वाद अधीन कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एवं अंकति चली आ रही है इसलिये प्रार्थी ने समय–समय पर अप्रार्थीगण को वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो अप्रार्थीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरते रहें परन्तु अब चूँकि जयपुर जिला की कृषि भमियों की बाजार दर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है इसलिये अप्रार्थीगण की नियत में फितुर आ गया और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द, कर विक्रय करने हेतु उतारू हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नही

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय–हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के प्रत्येक इंच भाग पर सह–हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एवं विधिक रिकॉर्डेड खातेदारी अधिकार निहित होते हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को दिनांक 18.02.2020 को वादअधीन भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु कहा तो अप्रार्थीगण ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु साफ इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर वह प्लॉट काटकर निर्माण करके, विक्रय हस्तान्तरण करेगें तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेगें। इसलिए तुम वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से अपना कब्जा हटा लो अन्यथा बाहुबल के आधार पर तुमको बेदखल कर दिया जायेगा। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि अप्रार्थीगण गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी को उसके खातेदारी व विधिक अधिकारों से वंचित करते पर तुले हुए है इसलिये प्रार्थी वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवा कर अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा कृषि भूमि को अपनी पृथक खातेदारी में दर्ज करवाने, राजस्व लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक करवाने का अधिकारी है। बिनायवाद अन्तिम रूप से दिनांक 18.02.2020 से निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला प्रार्थनापत्र पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात हाल खाता संख्या नया 233 व पुराना 222 में स्थित खसरा नंबर 295 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 296 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 297 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 307 रकबा 0.070 है0, खसरा नंबर 313 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 317 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 319 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 320 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 327/818 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 329 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 330 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 331 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 331/822 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 332 रकबा 0.57 है0, खसरा नंबर 338 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर [illegible]9 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 349 रकबा 1.28 है0, कुल किता 17 [illegible] रकबा 4.65 हैक्टेयर राजस्व ग्राम बडी का खेडा, पटवार हल्का [illegible] किला, भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर का मौके पर बाई मीट्स एण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

बाउण्ड्री में विधिक करवाये बिना, उक्त खसरान की भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से बेचान–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने एवं ऐसे किसी भी लेख्य पत्र का पंजीयन करने से निषेध रहे तथा प्रार्थी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने, तथा अपने–अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेध रखें तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायी रखें।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र टीआई के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी संवत् 2074–2077 पेश की जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से जवाब टीआई पेश किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र टीआई को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

विचाराधीन प्रार्थना पत्र टीआई में प्रार्थीगण, राहुल, रवि पुत्रान गिर्राज सोनी, संतोष पत्नी गिर्राज सोनी, विनिता, निकिता पुत्रियां गिर्राज सोनी की ओर से अधिवक्ता राजकुमार गठाला ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी व जवाब दावा पेश किया। वकील प्रार्थी को नकल दिलाई गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर मौखिक बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र टीआई में अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 13 पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया व प्रस्तुत जवाब टीआई को रिकॉर्ड पर लेने निवेदन किया। बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 13 बनाये जाने के आदेश पारित किये गये व प्रस्तुत जवाब टीआई को रिकॉर्ड पर लिया गया। अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 13 की ओर से प्रस्तुत जवाब टीआई में अंकित है कि खसरा संख्या 349 रकबा 1.28 हैक्टेयर में से [illegible] अप्रार्थी संख्या 1, 6 व अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के [illegible] संयुक्त [illegible] 0.075434 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] मिन अप्रार्थी के पिता/पति स्व0 गिर्राज सोनी को विक्रय कर दी। जिस कारण इस मद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

वर्णित खसरा नंबरान् 349 में मिन अप्रार्थीगण खसरा 349 में रकबा 0.0754 हैक्टेयर का सहखातेदार हैं मिन अप्रार्थीगण के पिता/प्रति स्व0 गिर्राज सोनी द्वारा खसरा संख्या 349 में क्रय शुदा हिस्से का नामान्तकरण नही खुलने के कारण प्रार्थी द्वारा तथ्य छुपा कर वाद प्रस्तुत किया है जबकि स्वयं वादी विक्रय पत्र दिनांक 06.03.2017 में विक्रेता पक्षकार है। मिन अप्रार्थीगण अपने क्रय शुदा भूमि पर काबिज है तथा मौके पर वर्तमान में क्रयशुदा भूमि की पश्चिम दिशा में अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु बतौर रास्ते के प्रयोग में लेता है। मिन अप्रार्थीगण की ना तो प्रार्थी की भूमि बाबत् कोई बद्नियती है, ना उन्हें प्रार्थी की खातेदारी के अधिकारों बाबत् कोई विवाद है तथा मिन अप्रार्थीगण को भूमि मौके अनुसार विधिवत् विभाजन कराये जाने में कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थीगण के पिता/पति कि क्रयशुदा भूमि बाबत् किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किया जा सकने से खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 6 सुवा पुत्र मोहरीलाल ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र टीआई संख्या 104/2020 बउनवानी सुवा बनाम अजीत सिंह वगै. को उक्त प्रार्थना पत्र संख्या (41/2020) के साथ समायोजित किया गया है।

प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद में निर्णय पारित कर तहसीलदार सांगानेर से कुर्रेजात रिपोर्ट चाही गई है। मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है ऐसे में मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व संग्लग्न प्रार्थना पत्र टीआई स्वीकार किया जाकर उभयपक्षो को ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात हाल खाता संख्या नया 233 व पुराना 222 में स्थित खसरा नंबर 295 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 296 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 297 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 307 रकबा 0.070 है0, खसरा नंबर 313 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 317 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 319 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 320 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 327/818 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 32[illegible] रकबा [illegible]4 हैक्टेयर, खसरा नंबर 330 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 331 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नंबर 331/822 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 332 रकबा 0.57 है0, खसरा नंबर 338 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 339 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 349

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 1.28 है0, कुल किता 17 कुल रकबा 4.65 हैक्टेयर राजस्व ग्राम बडी का खेडा, पटवार हल्का दहमीकलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें। निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner